

राजस्थान सरकार  
राजस्व गृह-6 विभाग

क्रमांक: घ. 98222 राजस्व/02 वार्ट/4

जयपुर दिनांक 25.3.03

समस्त जिला कलेक्टर

राजस्थान ।

परिपत्र

जिला कलेक्टर जयपुर ने राज्य सरकार से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि राजस्थान भू-राजस्व सिनेमा, होटल एवं पेट्रोलियम स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आवंटन नियमन एवं स्थान्तरण नियम 1978 के तहत सिनेमा हेतु पूर्व में जारी लीज डीडी का नवीनीकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के संशोधन उपरान्त अब जिला कलेक्टर द्वारा किया जावे अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा/उक्त संबंध में विधि विभाग की राय के अनुसार सिनेमा स्थापित किया जाता है कि शहरी क्षेत्रों में राजस्थान भू-राजस्व सिनेमा, होटल एवं पेट्रोलियम स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, नियमन एवं स्थान्तरण नियम 1978 के तहत जारी लीज डीडी का नवीनीकरण राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा । अतः उक्त नियमों के तहत लीज डीडी का नवीनीकरण जिला स्तर से न किया जा कर, नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव राजस्व विभाग को भिजाये जावे ।

उप शासन सचिव

प्रतिक्रिया वि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सिनेमा स्थापक, मा. उपमुख्यमंत्री जी राजस्व राज 0 जयपुर ।
2. शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ।
3. समस्त क्षेत्रीय आयुक्त, राजस्थान ।
4. सिनेमा स्थापक, नगरीय विकास विभाग, राज 0 जयपुर ।

शासन उप सचिव राजस्व